(2009) 3 एस.सी.आर. 1162

रामेश्वर प्रसाद

वि.

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 2009 की 434)

मार्च 5, 2009

(डॉ. अरिजित पसायत, व्ही.एस. सिरपुरकर और अशोक कुमार गांगुली न्यायाधीशगण)

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 धारा 374-दोषसिद्वि के विरुद्ध अपील -अपील न्यायालय ने यह कहते हुये कि अभियोजन प्रकरण में कमियां थी, प्रकरण का गुणदोष पर परीक्षण किये बिना, प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया - पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने प्रतिप्रेषण के आदेश को अपास्त कर दिया किन्तु दोषसिद्धि को यथावत रखा- अभिनिर्धारित-प्रकरण गुण-दोष पर निर्णय के लिये उच्च न्यायालय को प्रेषित गया - अभ्यास और प्रक्रिया।

अपीलार्थी, केन्द्रीय सहकारी बैंक में शाखा प्रबंधक, को धारा 408 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषसिद्ध और दण्डित किया गया था। अपील न्यायालय ने अभियोजन कथानक में कतिपय कमियां पाई और प्रकरण को पुनः परीक्षण के लिये प्रतिप्रेषित किया। रिविजन याचिका में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिप्रेषण का आदेश विधि की स्थिति के विरुद्ध था, लेकिन दोषसिद्धि यथावत रखी। इससे असंतुष्ट होकर अभियुक्त ने अपील प्रस्तुत की ।

अपील स्वीकार करते हुये और मामला वापस उच्च न्यायालय को भेजते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया - न तो सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील में और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में प्रकरण का परीक्षण गुण-दोष पर किया गया था। अपील न्यायालय ने, जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही उल्लेख किया है, मामला विचारण न्यायालय को विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये प्रतिप्रेषित किया जो सारतः अभियोजन कथानक में कमियों को पूरा करने के लिये थे। उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि ऐसा करना विधि में अनुमति योग्य नहीं है, लेकिन प्रकरण के गुणदोषों का परीक्षण किये बिना दोषसिद्धि और सजा को बहाल कर दिया। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और प्रकरण को गुण-दोष पर निर्णय के लिये वापस भेजा जाता है ।

आपरधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2009 की 434 एस.बी. आपराधिक विविध अपील संख्या 854/2007 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 29.5.2007 से ।

अपीलार्थी के लिये एस.सी.गुप्ता और रामेश्वर प्रसाद गोयल ।

प्रत्यर्थीगण के लिये मनीष कुमार, अंसार अहमद चौधरी ,सत्य प्रकाश और प्रोमिला माटा ।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया द्वारा:
डॉ0 अरिजित पसायत, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई ।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जयपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 671/ 2004 में पारित आदेश दिनांक 14.3.2007 को वापस लेने/संशोधित करने के लिए प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया , को चुनौती दी गई है ।

3. पृष्ठभूमि तथ्यों को संक्षेप में उल्लेख करने की आवश्यकता है। अपीलार्थी को जिला सवाई माधोपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा बोनिल में प्रबंधक के रुप में नियुक्त किया गया था। संबंधित पोलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. द्वारा 25.4.1982 को भारतीय दण्ड संहिता , 1980 (संक्षेप में "भारतीय दंड संहिता") की धारा 408 और 462 के अंतर्गत कथित अपराध कारित करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की गई थी । इसके बाद कुछ राशि के कथित आपराधिक न्यास भंग के लिये धारा 408 भारतीय दंड संहिता के अ्ंतर्गत दण्डनीय अपराध के आक्षेपों के संबंध में अपराध का संज्ञान लिया गया । विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.2.2003 के आदेश अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दण्डित किया। विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह कहते हुये कि कतिपय कमियां थी जिन्हे ठीक किया जाना था और मामले का पुनः परीक्षण किया जाना था, प्रकरण को नए सिरे से विचारण के लिये प्रतिप्रेषित किया। दिनांक 16.4.2004 के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने प्रतिप्रेषण के आदेश को यह व्यक्त हुये रद्द और अपास्त कर दिया कि यह सुस्थापित विधिक स्थिति के विरुद्ध है किंतु विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की । दूसरे शब्दों में,

प्रतिप्रेषण के निर्देश को अपास्त कर दिया किंतु अपीलार्थी के द्‌वारा लिये गये अनेक आधारों का गुणदोष पर कोई परीक्षण नहीं किया। उच्च न्यायालय के समक्ष पुनिर्विलोकन के लिये आवेदन यह व्यक्त करते हुये प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने प्रतिप्रेषण के आदेश को अपास्त करते समय अपील का गुणदोष पर परीक्षण नहीं करते हुये विचारण न्यायालय के द्‌वारा अभिलिखित दोषसिद्‌धि को बरकरार रखा था। आवेदन उपर वर्णित अनुसार निरस्त कर दिया गया था।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्‌धान अभिभाषक ने व्यक्त किया कि विभिन्न स्तरों पर बहुत ज्यादा भ्रम है। प्रथमतः अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और मामला कतिपय मामलों पर विचार करने के बाद, जिनकी कि विद्‌वान सत्र न्यायाधीश के अनुसार विचारण न्यायालय के द्‌वारा अनदेखी की गई थी, दण्ड प्रकिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 368 (बी) के अंतर्गत प्रतिप्रेषित कर दिया । उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि प्रतिप्रेषण का आदेश गलत था फिर भी इसका गुणदोष पर परीक्षण नहीं किया ।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्‌वान अभिभाषक ने निर्णय का समर्थन किया ।

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न तो अपील में विद्‌वान सत्र न्यायालय के समक्ष और न ही पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का गुणदोषों पर परीक्षण   हुआ था । प्रथम अपील न्यायालय ने , जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही पाया है , प्रकरण विचारण न्यायालय को विभिन्न पहलूओं के विचार के लिये, जो कि सारतः अभियोजन कथानक में कमियों की पूर्ति के लिये थे, प्रतिप्रेषित किया था। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि यह कानून में अनुज्ञेय नहीं

था। यह कहते हुये कि उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के प्रकरण का परीक्षण गुणदोषों पर करना चाहिये था क्योंकि प्रथम अपील न्यायालय के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश को अपास्त करते हैं और मामला उच्च न्यायालय को गुणदोष पर विनिश्चय करने के लिये वापस भेजते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने प्रकरण के गुणदोषों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है ।

7. अपील स्वीकार की जाती है।

आर.पी. अपील स्वीकार की गई ।

बी.पी. माहेश्वरी